भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1806
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्रांडयुक्त और जेनेरिक दवाइयों की कीमतों में अंतर

1806. डा. प्रकाश बांडा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रांडयुक्त और जेनेरिक दवाइयों की कीमतों में सौ प्रतिशत तक का भी अंतर है; और
(ख) यदि हां, तो ब्रांडयुक्त और जेनेरिक दवाइयों की कीमतों के बीच इतने बड़े अंतर के क्या कारण हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): जेनेरिक दवाइयों के मूल्य को आमतौर पर समान प्रकार की ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में कम रखा जाता है क्योंकि जेनेरिक दवाइयों के मामले में कोई विपणन लागत शामिल नहीं होती है, जबकि ब्रांडेड दवाइयों के लिए, कंपनियां अपने ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक व्यय करती हैं।

बिना किसी ब्रांड नाम की जेनेरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों का दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के लिए समान माना जाता है। डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित दवाइयों (ब्रांडेड या जेनेरिक) के सभी विनिर्माताओं को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य के भीतर अपने उत्पादों को बेचना होता है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के संबंध में, एक निर्माता अपने द्वारा शुरू किए गए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों (ब्रांडेड या जेनेरिक) का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तथापि, डीपीसीओ के अनुसार, निर्माताओं को गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अनुसूचित दवाइयों के मामले में मूल्य निर्धारण तथा अनुवीक्षण दोनों किए जाते हैं और गैर-अनुसूचित दवाइयों के मामले में केवल अनुवीक्षण किया जाता है। यदि डीपीसीओ के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन पाया जाता है, तो डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार अधिप्रभार के लिए कार्रवाई की जाती है।

*****